"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254] रायपुर, शनिवार, दिनांक 18 सितम्बर 2010—भाद्र 27, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

आदेश

क्रमांक 10777/डी-2313/21-ब/(छ. ग.)/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक तथा छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत, पदोन्नत कर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करता है :—

1. श्रीमती नीता यादव
2. श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी
3. श्री मनीष कुमार नायडू

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.